साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 10, अंक : 14 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 20 नवंबर 2024 से 26 नवंबर 2024 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप के क्रियान्वयन और खेत में जलती आग के आंकड़ों पर तत्काल कार्रवाई के दिए आदेश

नई दिल्ली। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि स्थिर उपग्रह (स्टेशनरी सेटेलाइट) और ध्रुवीय उपग्रहों (पोलर ओर्बिटिंग सेटेलाइट) द्वारा एकत्र किए आंकड़ों में अंतर होता है। मामला खेतों में लगी आग से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) पोलर ओर्बिटिंग सेटेलाइट से जुड़े आंकड़ों पर भरोसा करता है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नासा के उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करता है। यह उपग्रह दिन में दो बार, सुबह 10ः30 बजे और दोपहर 1ः30 बजे एनसीआर क्षेत्र से गुजरते हैं। इसका मतलब है कि वे केवल इस समय अवधि के दौरान ही खेतों में लगने वाली आग को पकड़ पाते हैं। नासा से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक हिरेन जेठवा से प्राप्त जानकारी के आधार पर एमिकस क्यूरी ने बताया है कि दक्षिण कोरियाई उपग्रह, जियो-कॉमसेट 2ए ने शाम 4ः20 पर खेतों में लगी आग को कैप्चर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आयोग को निर्देश दिया है कि वे दक्षिण कोरियाई स्थिर उपग्रह या इसी तरह के अन्य स्टेशनरी सैटेलाइट से आंकड़ों को प्राप्त करने की तत्काल व्यवस्था करें। इससे पूरे दिन खेतों में लगी आग से जुड़े आंकड़ों को राज्यों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। ऐसे में इन आंकड़ों की मदद से राज्य तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र की सभी राज्य सरकारों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण IV का तुरंत सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने सरकारों से चरण IV के तहत की गई कार्रवाइयों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द टीमें बनाने को कहा है। अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार और एनसीआर क्षेत्र की सभी राज्य सरकारों को चरण IV के खंड 5, 6, 7 और 8 में सूचीबद्ध कार्रवाइयों पर तुरंत फैसला लेना होगा। साथ ही उन्होंने क्या निर्णय लिए उसपर अपनी रिपोर्ट 22 नवंबर, 2024 से पहले कोर्ट में सबमिट करनी होगी। बता दें कि ग्रैप का तीसरा चरण तब लागू किया जाता है जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में यानी एक्यूआई 401 से 450 के बीच होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 नवंबर, 2024 को आयोग द्वारा गठित समिति की बैठक के दिन सूचकांक पहले ही 401 को पार कर गया था। एमिकस क्यूरी ने अदालत को जानकारी दी है कि 12 नवंबर 2024 को एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया था। हालांकि, ग्रैप के तीसरे चरण को तुरंत लागू करने के बजाय, आयोग ने इसे 14 नवंबर तक के लिए टाल दिया। गंभीर वायु गुणवत्ता के लिए चरण लागू करने में भी यही देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आयोग द्वारा अपनाया दृष्टिकोण ऐसा प्रतीत होता है कि वो वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार का इंतजार कर रहा था। इसलिए ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण को लागू करने में देरी हुई। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच का कहना है कि जब एक्यूआई के सीमा पार करने की आशंका हो तो आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एक्यूआई में सुधार का इंतजार किए बिना उसे ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण को तत्काल लागू कर देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और एनसीआर क्षेत्र की अन्य सभी राज्य सरकारों से शिकायत निवारण तंत्र बनाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम लोग ग्रैप के चौथे चरण के दौरान लागू प्रतिबंधों के उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर एक्यूआई 450 से नीचे चला जाता है, तब भी ग्रैप का चौथा चरण जारी रहेगा, जब तक कोर्ट आगे कोई आदेश नहीं देता। केंद्र सरकार और एनसीआर क्षेत्र की सभी राज्य सरकारों को 21 नवंबर, 2024 तक इस मामले में उठाए कदमों के बारे में अपना हलफनामा अदालत के सामने प्रस्तुत करना होगा। गौरतलब है कि याचिका यह जांचने के लिए सूचीबद्ध की गई थी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा सितंबर 2024 में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रकाशित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है। (साभार)

दुनिया भर में ताजे पानी के स्तर में अचानक आई भारी गिरावट, नासा का खुलासा

न्यूयार्क। नासा और जर्मन उपग्रहों से प्राप्त अवलोकनों का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम को इस बात के सबूत मिले है कि मई 2014 से धरती पर मीठे या ताजे पानी की कुल मात्रा में अचानक गिरावट आई है और तब से यह कमी लगातार बनी हुई है। शोधकर्ताओं ने शोध में कहा है कि यह बदलाव इस बात का संकेत दे रहा है कि पृथ्वी के महाद्वीप सूखे चरण में प्रवेश कर चुके हैं।

शोध के मुताबिक, साल 2015 से 2023 तक के उपग्रह मापों से पता चला है कि धरती में जमा मीठे या ताजे पानी की औसत मात्रा, जिसमें झीलों और नदियों जैसे तरल सतही पानी, साथ ही भूमिगत जलभृतों का पानी शामिल है। साल 2002 से 2014 तक के औसत स्तरों से 1,200 क्यूबिक किमी से कम थी। सूखे के समय सिंचाई की जानी वाली खेती में बढ़ोतरी के साथ-साथ, खेतों और शहरों को भूजल पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है, जिससे भूमिगत जल आपूर्ति में गिरावट का चक्र शुरू हो जाता है। मीठे पानी की आपूर्ति ठप हो जाती है, बारिश और बर्फबारी उन्हें फिर से भरने में कामयाब नहीं होती हैं और फिर पानी के लिए और अधिक भूजल पंप किया जाता है। साल 2024 में प्रकाशित पानी की कमी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, उपलब्ध पानी में कमी से किसानों और समुदायों पर दबाव पड़ता है, जिससे अकाल, संघर्ष, गरीबी और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, जब लोगों को दूषित जल स्रोतों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शोधकर्ताओं की टीम ने जर्मन एयरोस्पेस सेंटर, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज और नासा द्वारा संचालित ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट (जीआरएसई) उपग्रहों के अवलोकनों का उपयोग करके दुनिया भर में मीठे पानी में अचानक आई कमी का पता लगाया है जीआरएसई उपग्रह मासिक पैमाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में उतार-चढ़ाव को मापते हैं जो जमीन पर और उसके नीचे पानी के द्रव्यमान में बदलावों को सामने लाते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर में मीठे पानी में गिरावट उत्तरी और मध्य ब्राजील में बड़े पैमाने पर सूखे के साथ शुरू हुई और इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में बड़े पैमाने पर पड़े सूखे ने इसे आगे बढ़ाया।

जलवायु परिवर्तन की मार-2050 तक शीतकालीन ओलंपिक के लिए 93 में से सिर्फ 52 जगहें बचेंगी

मुंबई। एक शोध से पता चलाा है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह से शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के भविष्य को खतरे में डाल रहा है।

शोध में दुनिया भर के 93 ऐसे शहरों और इलाकों का अध्ययन किया गया, जिनके द्वारा पहले शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की गई थी और पाया कि दुनिया भर में तापमान में लगातार वृद्धि के कारण जलवायु संबंधी विश्वसनीय स्थलों में भारी कमी आने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा शीतकालीन खेलों के वातावरण और जलवायु परिवर्तन से इसके प्रभावित होने के बारे में समझ बढ़ाने के लिए यह अध्ययन किया गया है। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में मध्यम श्रेणी के उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत, 2050 तक केवल 52 स्थान ही जलवायु के मामले में विश्वसनीय रहेंगे, अर्थात ये खेलों के आयोजन के लायक होंगे। ये वो जगहें हैं जहां पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की गई थी और 2080 तक केवल 46 ही जलवायु के मामले में विश्वसनीय रहेंगे। पैरालिंपिक शीतकालीन खेलों के लिए संभावनाएं, जो अक्सर सीजन के अंत में निर्धारित की जाती हैं और भी अधिक भयावह हैं, 2050 के दशक में केवल 22 और 2080 के दशक में 16 विश्वसनीय स्थल होंगे। शोध के निष्कर्ष करंट इश्यूज इन टूरिज्म नामक पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं।

शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा जलवायु परिवर्तन शीतकालीन खेलों और ओलंपिक शीतकालीन खेलों की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। शोधकर्ताओं ने शोध में पाया कि तापमान में वृद्धि और बर्फ में भारी कमी के कारण इन वैश्विक खेलों के आयोजनों के लिए संभावित मेजबानों की संख्या कम हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण शीतकालीन खेलों का भूगोल बदल रहा है और खेल के इस वैश्विक उत्सव का भविष्य अगले दशक में जलवायु नीति निर्णयों से काफी प्रभावित होगा। जबकि उन्नत बर्फ निर्माण जैसी अनुकूलन रणनीतियां कुछ प्रभावों को कम कर सकती हैं, उनकी सीमाएं स्पष्ट हैं।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल से प्राप्त जलवायु मॉडल के आंकड़ों का मूल्यांकन करते हुए, जैसे कि बर्फ की न्यूनतम गहराई और अधिकतम श्रेणी के बर्फीले खेलों के लिए आवश्यक रोजमर्रा के हिमांक तापमान, अध्ययन एक गंभीर पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है, उच्च-उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत, सदी के अंत तक वर्तमान मेजबान स्थानों में से अधिकांश खेल करवाने लायक नहीं रहेंगे। आईओसी के अनुसार, निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि ओलंपिक एजेंडा 2020 और 2020+5 के सुधार, मेजबानों के लिए उनके बढ़े हुए लचीलेपन के साथ, ओलंपिक शीतकालीन खेलों के भविष्य की रक्षा करने में योगदान देंगे, जिसमें एक या अधिक क्षेत्रों में आयोजित होने वाली परियोजनाओं को सक्षम करना, मौजूदा स्थानों का अधिकतम उपयोग करना शामिल है। अध्ययन आईओसी की इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि शीतकालीन खेल समुदाय को शीतकालीन खेलों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और पर्यावरण पर शीतकालीन खेलों के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए समाधान खोजने चाहिए। ओलंपिक शीतकालीन खेलों के अगले तीन संस्करणों में बर्फ के खेलों के लिए मेजबान क्षेत्र - इतालवी आल्प्स, फ्रांसीसी आल्प्स और वासाच बैक, यूटा - सभी को मध्य शताब्दी से परे जलवायु विश्वसनीय के रूप में आंका गया है और यह दर्शाता है कि आईओसी ने अगले दशक के लिए ओलंपिक शीतकालीन खेलों के लिए जलवायु-सुरक्षित स्थलों के रूप में चुनाव किया है।

उत्तराखंड में 15 जलविद्युत परियोजनाएं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में

शिमला। रिपोर्ट के मुताबिक, चमोली में 2021 और तीस्ता ढ्ढढ्ढ में 2023 में इसके उदाहरण भी देखे गए हैं। जलवायु जनित घटनाओं ने इस दोनों परियोजनाओं को काफी पीछे धकेल दिया है और भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई है। चमोली में कुछ अनुमानों में आपदा का वित्तीय प्रभाव करीब 1,625 करोड़ रुपए आंका गया है। हालांकि केवल मलबा हटाने में ही 3,400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। चमोली की घटना में अनुमानित 1,74,58,547 क्यूबिक मीटर मलबा आया था जो 4,30,35,319 टन के बराबर है। अगर इस मलबे को नोएडा में बिल्डिंग गिराने के बाद हटाए गए मलबे को हटाने की दर से भी हटाया जाए तो 48,415 दिन यानी करीब 133 साल लगेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, जल विद्युत परियोजनाएं उच्च जोखिल वाले वाले क्षेत्रों में स्थापित हो रही हैं। राज्य के ये स्थान आने वाले वर्षों में भूकंपीय या जलवायु जनित आपदाओं की जद में आ सकते हैं। करीब 70 हजार करोड़ के निवेश वाली कम से कम ऐसी 15 परियोजनाएं उत्तराखंड के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड में 25 मेगावाट से अधिक वाली 81 बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं और 18 परियोजनाएं चालू हालत में हैं। चरम जलवायु से संबंधित खतरों ने इनके भविष्य पर अनिश्चितता पैदा कर दी है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि हिमालयी क्षेत्र की गतिशील और बदलती जलवायु परिस्थितियां के कारण जलविद्युत संरचनाओं से खड़े होने वाले खतरों पर बारीक नजर रखने की जरूरत है। पुराने जलवायु डेटा और उच्च जोखिम वाले अपस्ट्रीम क्षेत्रों में बस्तियों और संरचनाओं ने इन परियोजनाओं की संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है। उत्तरखंड आपदाओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है। रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की डिजास्टर रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट 2019 के आधार पर भविष्य में भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन के खतरों से प्रभावित होने वाले इलाकों को बताया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले हरिद्वार और ऋषिकेश को सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में माना गया है। मंगलोर और हरिद्वार-रूड़की बेसिन पर इसका सबसे अधिक खतरा है। बाढ़ के सबसे बड़े जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में भी मंगलोर बेसिन है। इसके बाद पोंटा-विकासनगर जोखिम का स्थान है। भूस्खलन के जोखिम वाले बेसिनों में पिथौरागढ़-बागेश्वर बेसिन पहले स्थान पर है। जल विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में उत्तराखंड के आठ प्रमुख नदी बेसिनों में जोशीमठ-श्रीनगर नदी बेसिन सबसे संवेदनशील है। टिहरी-उत्तरकाशी और पिथौरागढ़-बागेश्वर बेसिन की पहचान अति संवेदनशील के रूप में हुई है। रिपोर्ट में जोखिमों को कम करने के लिए सुझाव दिया गया है कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में नई जलविद्युत परियोजनाएं लाने से बचना चाहिए। साथ ही मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को लागू करना चाहिए ताकि जलवायु जनित आपदाओं का सूचना समय पर दी जा सके और बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। यह सुझाव भी दिया गया है कि अप्रत्याशित बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियर फटने के खतरों के मद्देनजर जलविद्युत परियोजनाओं में क्लाइमेट रिजीलिएंट मानकों को लागू और सुदृढ़ किया जाए।

दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 500 पार

दिल्ली प्रदूषण थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नरेला, सोनिया विहार और अलीपुर में तो स्थिति इस कदर खराब है कि वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 500 तक पहुंच गया है। कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की भी है, जहां आज सुबह भी वायु गुणवत्ता %गंभीर% बनी हुई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 19 नवंबर 2024 की सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' बनी हुई है। मतलब की दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार है। देखा जाए तो दिल्ली की हवा में घुला जहर लोगों को बहुत ज्यादा बीमार बना देने के लिए काफी है।

ताजा रुझानों के मुताबिक जहां आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 499 रिकॉर्ड किया गया। वहीं बवाना में सूचकांक 498 पर बना हुआ है। इस मामले में दिलशाद गार्डन, पटपड़गंज और विवेक विहार में भी ज्यादा पीछे नहीं हैं, जहां एक्यूआई 496 रिकॉर्ड किया गया है। कुछ ऐसी ही स्थिति जहांगीरपुरी, मुंडका, रोहिणी, शादीपुर और वजीरपुर की है, जहां सुबह एक्यूआई 495 दर्ज किया गया। अशोक विहार और पूसा में 494, जबकि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर सूचकांक 493 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह मंदिर मार्ग, पंजाबी बाग, और द्वारका सेक्टर 8 पर भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 490 के पार है। आंकड़ों के अनुसार डॉ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, डी.टी.यू और नेहरू नगर में एक्यूआई 489 दर्ज किया गया है। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, सिरीफोर्ट, नजफगढ़, आरके पुरम, ओखला फेज द्धद्ध और लोधी रोड में भी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है, वहां भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 480 के पार है। इसके बाद श्री अरबिंदो मार्ग पर एक्यूआई 478 दर्ज किया गया है, जबकि एनएसआईटी, द्वारका पर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में सिर्फ आईटीओ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से नीचे है, लेकिन वहां भी वो 396 पर बना हुआ है। देखा जाए तो दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता का जो स्तर है वो न केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन बल्कि भारत सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता को लेकर जारी मानकों से भी कई गुणा अधिक है। दिल्ली में प्रदूषण इस कदर हावी हो चुका है, कि उसकी वजह से लोगों के लिए सांस लेना तक दुश्वार हो गया है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि दिल्लीवासी गैस चैम्बर में रह रहे हैं। सीपीसीबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदूषण के मामले में गुरूग्राम भी ज्यादा पीछे नहीं है, जहां कल (18 नवंबर 2024) वायु गुणवत्ता सूचकांक 469 तक पहुंच गया था। इसी तरह बहादुरगढ़ में भी 453 अंकों के साथ वायु गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता %आपात% स्थिति में है। इस दौरान जहां भिवाड़ी में एक्यूआई 447 दर्ज किया गया, वहीं धारूहेड़ा में 447, गाजियाबाद में 438, हापुड में 431, सोनीपत में 430, भिवानी में 429 और नोएडा में सूचकांक 423 रिकॉर्ड किया गया है।

फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता बेहद खराब है, जहां कल से एक्यूआई में 92 अंकों का उछाल आया है। इसके बाद फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़कर 367 तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ देश के महज दस शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहतर दर्ज किया गया। इन शहरों में आइजोल, चामराजनगर, कोयंबटूर, मदुरै, मैहर, नगांव, रामनाथपुरम, तंजावुर, त्रिशूर आदि शामिल थे। हालांकि चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में देश में साफ हवा वाले शहरों की संख्या में 63 फीसदी की गिरावट आई है। देश में वायु प्रदूषण के स्तर और वायु गुणवत्ता की स्थिति को आप इस सूचकांक से समझ सकते हैं जिसके अनुसार यदि हवा साफ है तो उसे इंडेक्स में 0 से 50 के बीच दर्शाया जाता है। इसके बाद वायु गुणवत्ता के संतोषजनक होने की स्थिति तब होती है जब सूचकांक 51 से 100 के बीच होती है। इसी तरह 101-200 का मतलब है कि वायु प्रदूषण का स्तर माध्यम श्रेणी का है, जबकि 201 से 300 की बीच की स्थिति वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को दर्शाती है। वहीं यदि सूचकांक 301 से 400 के बीच दर्ज किया जाता है जैसा दिल्ली में अक्सर होता है तो वायु गुणवत्ता को बेहद खराब की श्रेणी में रखा जाता है।

विश्व शौचालय दिवस

दुनिया भर में बुनियादी स्वच्छता के बिना रह रहे हैं 3.5 अरब लोग

मुंबई। दुनिया भर में विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बेहतर स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों को बढ़ावा देना तथा बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य सुधार में स्वच्छता की भूमिका को समझना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित शौचालय हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जो सतत विकास लक्ष्यों का एक प्रमुख हिस्सा है। संगठन के अनुसार, दुनिया भर में 3.5 अरब लोग बुनियादी स्वच्छता के बिना रह रहे हैं और कई बच्चे स्वच्छता की कमी और प्रदूषित पानी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। विश्व शौचालय दिवस इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर बन गया है, जो खराब परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

क्या है विश्व शौचालय दिवस 2024 की थीम?

इस साल की थीम %शौचालय- शांति के लिए एक स्थान% है, जो लोगों के जीवन पर स्वच्छता की कमी के प्रभाव और स्वस्थ और स्थिर समाज के लिए स्थायी स्वच्छता के महत्व पर आधारित है। साल 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित शौचालय% सतत विकास लक्ष्य छह के लक्ष्यों में से एक है, लेकिन दुनिया भर में इस लक्ष्य को हासिल करना कठिन लग रहा है। जब लोग शौचालय का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वे अक्सर बाहर शौच करते हैं, जिसे खुले में शौच के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया भर में कम से कम 41.9 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है और दस्त जैसी बीमारियों के फैलने का कारण बनता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, दस्त बच्चों में मृत्यु का एक मुख्य कारण है, स्वच्छता की कमी और गंदे पानी के कारण हर दिन लगभग 1,000 बच्चे मर जाते हैं। स्वच्छता और स्वच्छ पानी तक पहुंच में सुधार करके, हर साल तीन लाख से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकती है। विश्व शौचालय दिवस के इतिहास की बात करें तो साल 2001 में, सिंगापुर में जैक सिम द्वारा स्थापित विश्व शौचालय संगठन ने शौचालयों को लोगों के लिए अधिक प्रासंगिक और समझने योग्य बनाने के लिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में चुना। गैर सरकारी संगठ (एनजीओ) का उद्देश्य शौचालयों के महत्व को सामने लाना था साथ ही इसने 2007 में सस्टेनेबल सैनिटेशन एलायंस से समर्थन हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पानी और स्वच्छता के अधिकार को मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद, 2010 में इस दिन को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मान्यता मिली।

भारत की शौचालय क्रांति- स्वच्छ भारत मिशन

भारत में असुरक्षित शौचालयों के कारण 20 फीसदी से अधिक बीमारियां होती हैं और हर दिन 500 बच्चे इससे संबंधित बीमारियों से मरते हैं, लेकिन 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के बाद 2019 में ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)-ग्रामीण के तहत, 11.73 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों के निर्माण किया गया, जिसके चलते 5.57 लाख से अधिक ओडीएफ प्लस गांव बने हैं। इस पहल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में अहम योगदान दिया। मिशन का आर्थिक प्रभाव भी उतना ही प्रभावशाली था, जिससे ओडीएफ गांवों को स्वास्थ्य सेवा पर हर साल औसतन 50,000 रुपये प्रति परिवार की बचत हुई। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी ने भी अपने लक्ष्यों को पूरा किया और 63.63 लाख घरेलू शौचालयों और 6.36 लाख से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की सुविधा प्रदान करते हुए अपने लक्ष्यों को हासिल किया। इन प्रयासों के कारण 4,576 शहरों को ओडीएफ का दर्जा हासिल हुआ, जिनमें से कई ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस तक पहुंचे। इस मिशन ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर अच्छा असर डाला है, ओडीएफ वाले इलाकों में 93 फीसदी महिलाओं ने बढ़ती सुरक्षा का अनुभव किया। सामूहिक रूप से, एसबीएम ने विश्व शौचालय दिवस और एसडीजी छह के व्यापक लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समतापूर्ण भारत की नींव रखी है। हर किसी को ऐसा शौचालय मिलना चाहिए जो सुरक्षित, स्वच्छ, निजी हो तथा ऐसी प्रणाली से ठीक से जुड़ा हो जो अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से अलग करता हो।

पर्यटकों का स्वर्ग, भारत का आध्यात्मिक हृदय- मध्यप्रदेश

इंदौर मध्यप्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत का एक समृद्ध ताना-बाना है, जिसमें कई ऐसे स्थल हैं जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में, राज्य सरकार इन स्थलों को बढ़ाने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जो राज्य की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान सरकार की पहली वर्षगांठ, 13 दिसंबर के अवसर पर, सरकार मौजूदा धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और मध्यप्रदेश को धार्मिक पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए नए आध्यात्मिक स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

मध्यप्रदेश के विविध धार्मिक परिदृश्य में हिंदू, जैन, बौद्ध और इस्लाम सभी शामिल हैं, जो आध्यात्मिक साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। हाल के वर्षों में मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से उज्जैन में महाकाल महालोक के सफल शुभारंभ के बाद। महाकाल महालोक में आगंतुकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जो आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के उत्प्रेरक के रूप में धार्मिक पर्यटन की क्षमता को रेखांकित करता है। डॉ. यादव के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने पूरे राज्य में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और संवर्धन को प्राथमिकता दी है। इस पहल का उद्देश्य न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है, बल्कि आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना भी है। महाकाल महालोक इन प्रयासों का केंद्र बिंदु है, जिसे महाकालेश्वर मंदिर के आसपास एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यह पुनर्विकास प्रबंधन को बेहतर बनाता है और इस ऐतिहासिक स्थल के आध्यात्मिक वातावरण को समृद्ध करता है। प्रदेश के अनेक धार्मिक स्थलों का उनकी परम्पराओं के अनुरूप विकास किया जा रहा हहै। सलकनपुर में देवी लोक को शक्ति मंदिर स्थल के रूप में विकसित किया गया है, ताकि सुगमता से देवी दर्शन के साथ ही तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर पहुँच और सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँ। छिंदवाड़ा में श्रीहनुमान लोक भगवान हनुमान का उत्सव मनाएगा, जिसमें भक्तों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक वातावरण बनाया जाएगा। ओरछा में रामराजा लोक भगवान राम का सम्मान करेगा और अध्यात्म और इतिहास दोनों में रुचि रखने वाले आगंतुकों को आकर्षित करेगा। सागर में संत रविदास लोक के पुनरुद्धार का उद्देश्य संत रविदास की विरासत का सम्मान करना है, ताकि उनके अनुयायियों और उनकी शिक्षाओं में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक और रानी अवंतीबाई स्मारक जैसे ऐतिहासिक स्थलों को भी उनके सांस्कृतिक महत्व को उजागर करते हुए बढ़ाया जा रहा है, साथ ही इतिहास और अध्यात्म दोनों में रुचि रखने वाले आगंतुकों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा, अमरकंटक में माँ नर्मदा महालोक में आगंतुकों की सुविधाओं को बढ़ाने और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। सरकार खरगोन में देवी अहिल्याबाई लोक, बड़वानी जिले में नागलवाड़ी लोक जैसे नए आध्यात्मिक स्थलों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें शांत वातावरण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ग्वालियर में जाम सावंली हनुमान लोक में भगवान हनुमान की शक्ति और भक्ति का पर्व मनाया जाएगा, वहीं जानापाव जिसे भगवान परशुराम की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है, वहां परशुराम लोक विकसित किया जाएगा, जिसमें भगवान परशुराम को समर्पित एक नया मंदिर बनाया जाएगा, जहां आगंतुकों के लिए विभिन्न सुविधाएँ भी होंगी। इस परियोजना में नर्मदा जल को लाना और आसान पहुँच के लिए रोपवे का निर्माण करना भी शामिल है। दतिया में मां पीतांबरा लोक, देवी पीतांबरा को समर्पित एक और महत्वपूर्ण स्थल है। रतनगढ़ में माता मंदिर लोक देवी दुर्गा को समर्पित एक प्रतिष्ठित मंदिर के साथ एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल भी बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की संभावनाओं को पहचानते हुए, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वैश्विक बाजारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। स्थानीय जनजातियों के लिए सब्सिडी के साथ ग्रामीण होम-स्टे को बढ़ावा देने जैसी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें अच्छे आवास का अनुभव भी प्रदान करती है। मध्यप्रदेश द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में किए गये ये नवाचार जैसे-जैसे समय के साथ आगे बढ़ते हैं, वे न केवल पर्यटन में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक विकास का वादा करते हैं, बल्कि भारत की विविध धार्मिक परंपराओं के बीच शांति की तलाश करने वाले आगंतुकों के लिए एक समृद्ध आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करते हैं। इसमें सरकार की प्रतिबद्धता इस समझ को रेखांकित करती है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से मध्यप्रदेश में सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक विकास दोनों में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। मध्यप्रदेश सरकार वृंदावन ग्राम योजन भी प्रारंभ करने जा रही है, जिसके अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास में बढ़ावा देने वाले आदर्श गांवों में बदला जायेगा है।

गुना में पेड़ों को काट वन भूमि पर हुआ अतिक्रमण, एनजीटी ने तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश

गुना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल बेंच ने गुना के कलेक्टर और राघौगढ़ के तहसीलदार से जंगलों पर हुए सभी तरह के अतिक्रमण हटाने को कहा है। दिए इस आदेश में उन्हें इस भूमि को वन विभाग को सौंपने और उसकी सीमा की पहचान करने के साथ-साथ चिह्नित करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही वन भूमि को सही तरीके से संरक्षित करने का भी निर्देश अदालत ने दिया है।

अगर इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता, तो गुना के कलेक्टर और राघौगढ़ के तहसीलदार को व्यक्तिगत हलफनामे में इसका कारण बताना होगा। उन्हें चार दिसंबर, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में भी शामिल होने को कहा गया है। इसका उद्देश्य मुद्दे को सुलझाना और यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की जमीन नियमों के मुताबिक सुरक्षित रहे। गौरतलब है कि आवेदन में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के साथ-साथ राघौगढ़ तहसील के कंपार्टमेंट नंबर 678 में वन भूमि के अवैध उपयोग को लेकर चिंता जताई गई थी। आरोप है कि कुछ लोगों ने वन भूमि पर अतिक्रमण कर उसे निजी संपत्ति में बदल दिया है और पर्यावरण नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में अदालत को जानकारी दी है कि वन सीमा पी678 में एक जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2023 के बीच 64 से ज्यादा पेड़ काटे गए। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 26.487 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया और उसपर खेती की जा रही है। इसके साथ ही 7.457 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन अधिकारियों को सूचित किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा 19.030 हेक्टेयर भूमि पर 23 लोगों ने कब्जा कर रखा है। अदालत को बताया गया है कि वन भूमि पर कई अतिक्रमण हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि वन विभाग ने इस मुद्दे पर जिला प्रशासन को बार-बार सूचना दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संबंधित अधिकारियों से बालाघाट में ठोस कचरे के प्रबंधन से जुड़े नियमों का पालन करने को कहा है। मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट का है। 14 नवंबर, 2024 को दिए इस आदेश में अदालत ने लम्बे समय से जमा कचरे को भी साफ करने और उसका उचित तरीके से निपटान करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, उसके सम्बन्ध में दो महीनों के भीतर अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आवेदक के वकील ने अदालत को जानकारी दी है कि बालाघाट नगर पालिका परिषद ठोस कचरे का उचित तरीके से निपटान नहीं कर रही है। न ही वो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को गंभीरता से ले रही है। वहीं बालाघाट नगर पालिका की ओर से पेश वकील ने कहा है कि वित्तीय संकट के चलते नगर पालिका इस मामले पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इस मामले में उन्होंने मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं पर्यावरण विभाग (यूएडीडी) से मदद मांगी है। यूएडीडी ने बालाघाट के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। वे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने पर भी काम कर रहे हैं, जो अंतिम चरण में है। महाराष्ट्र, ओडिशा और त्रिपुरा के भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड मौजूद है। यह जानकारी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने 18 नवंबर, 2024 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सौंपी अपनी रिपोर्ट में दी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में आर्सेनिक की मौजूदगी नहीं पाई गई है। हालांकि, 150 स्थानों पर फ्लोराइड पाया गया है। इनमें 140 स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि दस शहरी क्षेत्रों से जुड़े हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में, पांच स्थानों पर दोबारा की गई जांच में कोई प्रदूषण नहीं पाया गया है, जबकि शेष 135 स्रोतों से पीने के लिए पानी लिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए, प्रभावित गांवों में डीफ्लोराइडेशन और आरओ प्लांट लगाए गए हैं। ओडिशा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य के गहरे जलस्रोत आर्सेनिक मुक्त हैं। 18 जून, 2024 तक 18 क्षेत्रों में फ्लोराइड पाया गया। राज्य ने दूषित जल स्रोतों को बंद कर दिया है और इस बस्तियों में अल्पकालिक उपाय के रूप में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र स्थापित करके कार्रवाई की है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008